छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/2021/ श्र.आ. /2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21/03/2020

प्रति,

समस्त नियोजक/ अधिभोगी/ कारखाना प्रबंधक/प्रोपराईटर/संस्था-प्रतिष्ठान प्रमुख
(औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएँ, निजी अस्पताल एंव नर्सिंग होम, टॉकिज, होटल एवं रेस्टोरेंट, मॉल, समाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियल स्टेट/कंस्ट्रक्शन कंपनी इत्यादि)
छत्तीसगढ़

विषय :- **श्रमिको/ कर्मचारियों आदि को वेतन,अवकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने बाबत्।**

संदर्भ :- **विभागीय पत्र क्र.संचा./2020/152-166 दिनांक 19.03.2020 एवं क्र.32-33/2020/श्रम दिनांक 19.03.2020।**

नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये है। वर्तमान उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपके संस्थान/स्थापना में कार्यरत **कर्मचारी/श्रमिक (स्थायी/अस्थायी/ठेका)** आदि के स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है :-

1. आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि को सहूलियत के हिसाब से कार्य लिया जावे और आवश्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था किया जावे।
2. यदि कोई कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि इस बीमारी से पीड़ित हो तो उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूर्ण सहयोग के साथ-साथ आवश्यकतानुसार **सवैतनिक अवकाश** प्रदान किया जावे।
3. यदि किसी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि के परिवार के सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हो तो उनके परिवार के सदस्य के सहयोग/उपचार हेतु संबंधित कर्मकार को आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावे।
4. यदि इस समय किसी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि अन्य कारणों से बीमार है अथवा उनके परिवार के सदस्य बीमार है तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्हे सवैतनिक अवकाश एवं अन्य सहूलियत दिया जाये।
5. वर्तमान असाधारण परिस्थिति में आपके संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त/छटनी/सर्विस ब्रेक न किया जावे, और न ही किसी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि के वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई कटौती की जावे।
6. वर्तमान असाधारण परिस्थिति में यदि किसी भी संस्थान/कारखाना/स्थापना को अपने सामान्य गतिविधि/कार्यक्रम/कार्य में बदलाव/स्थगित रखने के कारण (उदाहरण स्वरूप जैसे- हॉस्पिटल/नर्सिंग होम में सर्जिकल-नॉन सर्जिकल कार्य) किसी भी कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि को न तो निकाला जायेगा और न ही वेतन भत्ते आदि कटौती किया जावेगा। ऐसे समस्त परिस्थितियों मे सवैतनिक अवकाश दिया जाकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये।

Scanned with CamScanner

7. नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकटकालीन परिस्थिति में विभिन्न श्रम कानूनों के दृष्ठिगत कर्मचारी/कर्मकार/श्रमिक आदि एवं उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक, समाजिक एवं अर्थिक सुरक्षा प्रदान की जावे।

21/3/2020

(सोनमणि बोरा आई.ए.एस.)
सचिव सह श्रमायुक्त सह मुख्य
कारखाना निरीक्षक
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

पृष्ठ क्रमांक/2022/ श्र.आ. /2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21/03/2020

प्रतिलिपी -

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन।
3. निज सचिव माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग।
4. निज सचिव माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
5. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
6. सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली।
7. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
9. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
11. श्रमायुक्त,छत्तीसगढ़।

.... की ओर सूचनार्थ।

12. सचिव/आयुक्त, जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
13. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व).................. छत्तीसगढ़।
14. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेंज............ छत्तीसगढ़।
15. समस्त कलेक्टर,............ छत्तीसगढ़।
16. समस्त पुलिस अधीक्षक............ छत्तीसगढ़।
17. राज्य सूचना अधिकारी(एन.आई.सी),मंत्रालय की ओर छत्तीसगढ़ शासन की वेब पेज में अपलोड किये जाने हेतु।
18. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं की ओर सूचनार्थ।
19. समस्त उपश्रमुायक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ।
20. समस्त उपसंचालक/सहायक संचालक,औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की ओर पालनार्थ।
21. समस्त श्रमिक संघ................. छत्तीसगढ़।
22. समस्त व्यापारी संघ/चेबर ऑफ कॉमर्स/लघु उद्योग संघ........... छत्तीसगढ़।

..................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21/3/2020

सचिव सह श्रमायुक्त सह मुख्य
कारखाना निरीक्षक
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

Scanned with CamScanner